दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गोरखपुर-273001
(नैक प्रत्यायित 'B++' श्रेणी)
सम्बद्ध
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

☎ : 0551-2334549
e-mail : dnpggkp@gmail.com
website : www.dnpgcollege.edu.in

दिनाँक : 26-06-2022

प्रकाशनार्थ

आज दिनांक 26 जून 2022 को दिग्विजयनाथ पी. जी. कॉलेज गोरखपुर एवं साइंस टेक इंस्टीटूट लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में जूम एप के माध्यम से आयोजित सप्तदिवसिय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के पांचवें दिन दो सत्रों में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता डॉ रेनु यादव,केन्द्रीय विश्वविद्यालय **'अकादमिक शोध लेखन'** विषय पर बोलते हुए कहा कि प्रत्येक अनुशासन में छात्र, प्रोफेसर और शोधकर्ता विचारों को व्यक्त करने, तर्क बनाने और विद्वान बातचीत में संलग्न होने के लिए अकादमिक लेखन का उपयोग करते हैं। अकादमिक लेखन साक्ष्य–आधारित तर्क, सटीक शब्द पसंद, तार्किक संगठन, और एक अवैयक्तिक स्वर द्वारा विशेषता है। हालांकि कभी–कभी लम्बे समय तक चलने वाले या पहुंचने योग्य, मजबूत अकादमिक लेखन के विपरीत विचार किया जाता है। यह एक सरल तरीके से सूचित करता है, विश्लेषण करता है एवं दृढ़ता से चलता है और पाठक को विद्वानों के संवाद में गंभीर रूप से संलग्न होने में सक्षम बनाता है। शोध–पत्र बाहरी जानकारी को थीसिस का समर्थन करने या तर्क देने के लिए उपयोग करता है। शोध–पत्र सभी विषयों में लिखे गए हैं और प्रकृति में मूल्यांकन, विश्लेषणात्मक या महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आम शोध स्रोतों में डेटा, प्राथमिक स्रोत (जैसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड), और माध्यमिक स्रोत (जैसे सहकर्मी–समीक्षा विद्वान लेख) शामिल हैं। एक शोध पत्र लिखने में इस बाहरी जानकारी को अपने विचारों के साथ संश्लेषित करना शामिल है।

द्वितीय सत्र में मुख्य वक्ता प्रो. कमन सिंह,बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ ने **'खाद्य और औषधियों के नियमन के लिए प्रयुक्त विश्लेषणात्मक विधियों का मूल्यांकन'** विषय पर बोलते हुए कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) अधिनियम, 2006 को खाद्य से संबंधित कानून बनाने तथा खाद्यानों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने हेतु निर्माण, भंडारण, वितरण तथा आयात को नियंत्रित करने के लिए तथा मानव उपयोग के लिए सुरक्षित तथा पुष्टिकर खाद्यान तथा इससे जुड़े मामलों तथा घटनाओं के प्रबंधन के उद्देश्य से लागू किया गया था। भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण की स्थापना वर्ष, 2008 में की गई। एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य सुरक्षा और मानक (एफ.एस. एस.)
अधिनियम, 2006 की धारा 14(1) और 13(1) के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर वैज्ञानिक विचार उपलब्ध कराने के लिए एक वैज्ञानिक समिति और 17 वैज्ञानिक पैनलों को स्थापित किया है जिसमें स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञ सम्मिलित हैं। अवधि के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई. ने वैज्ञानिक समिति और विभिन्न वैज्ञानिक पैनलों के कई बैठकों का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक विचारों और कई खाद्य मानकों को विकसित किया गया है।

कार्यक्रम का संचालन डॉ धर्मेंद्र यादव ने ,मुख्य वक्ता सहित सभी का स्वागत डॉ परीक्षित सिंह ने, अभार ज्ञापन प्रो. ओम प्रकाश सिंह,प्राचार्य , दिग्विजयनाथ पी.जी. कॉलेज गोरखपुर ने एवं अध्यक्षता श्रीमती श्वेता सिंह, लखनऊ ने किया।

इस ऑनलाइन कार्यक्रम में डॉ सत्येंद्र प्रताप सिंह, श्री अनिल भाष्कर, डॉ आर.पी. यादव, डॉ इंद्रेश पाण्डेय, डॉ शैलेश सिंह, श्री पवन कुमार पाण्डेय, महाविद्यालय के शिक्षक, अन्य महाविद्यालयों के शिक्षक सहित 235 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया।

डॉ शैलेश कुमार सिंह
मीडिया प्रभारी